प्रेस नोट
दिनांक 08.12.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 20,000/- रूपये नगद बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-911/24, धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त-डालिम पुत्र तजम्मुल नि0 गमस्तापुर साहिब ग्राम चापाई नवाबगंज बांग्लादेश को सतईपुरवा रोड़ निकट रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए माल(सोने चांदी के जेवरात) को बेचने से प्राप्त 20,000/- रूपये नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री गुरूप्रसाद तिवारी पुत्र कमला प्रसाद तिवारी हाल पता म0सं0 2176 आवास विकास कालोनी निकट प्रेरणा पार्क गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा उसके घर में घुसकर सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 विपुल कुमार द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 08.12.2024 को थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त विशेष सूत्रो, साक्ष्य संकलन व तकनीकी साक्ष्य के आधार पर घटना कारित करने वाले प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त डालिम पुत्र तजम्मुल को सतईपुरवा रोड़ निकट रेलवे स्टेशन गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए माल (सोने चांदी के जेवरात) को बेचने से प्राप्त 20,000/- रूपये बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि अभियुक्त गमस्तापुर साहिब ग्राम चापाई नवाबगंज बांग्लादेश का रहने वाला है। अभियुक्त बांग्लादेश से दिनाकं 06.11.2024 को अवैध तरीके से घुसपैठ करके भारत में आकर पहले 05 दिन तक हवाड़ा रेलवे स्टेशन पर रूका था। उसके बाद ट्रेन पकड़कर कानपुर आया और वहाँ काम खोजने लगा काम नही मिलने पर गोण्डा में आवास विकास कालोनी में दिनांक 25.11.2024 के दिन में काम खोजा नही मिला उसी दौरान प्रेरणा पार्क के पास एक मकान देखा जो ताला बंद था उसी 25/26.11.2024 की रात्रि ताला तोड़कर मकान से जेवरात चोरी करके चोरी की माल नेपाल में ले जाकर बेच दिया था। प्राप्त पैसे लेकर वापस गोण्डा आ गया था तथा पुनः चोरी करने के फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. डालिम पुत्र तजम्मुल नि0 गमस्तापुर साहिब ग्राम चापाई नवाबगंज बांग्लादेश।
(फर्जी आधार कार्ड पता- ग्राम स्वरूपादाह पोस्ट- हाकिमपुर नार्थ 24 परगनास पश्चिम बंगाल)

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-911/24, धारा 305(ए), 331(4), 317(2) बीएनएस व 14 विदेशी अधि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. सोने चांदी के जेवरात को बेचने से प्राप्त 20,000/- रूपये
02. फर्जी आधार कार्ड व वोटर आईडी।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विपुल कुमार।
02. हे0का0 विश्वामित्र त्रिपाठी।
03. का0 संदीप कुमार।
04. का0 विजय कुमार

प्रेस नोट

दिनांक 08.12.2024, को0मनकापुर

जनपद गोण्डा।

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा मोबाइल फोन छीना-झपटी करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 04 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-602/24, धारा 304(2), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्तों- 01. उमेश कुमार, 02. आशुतोष तिवारी, 03. अभय राज व 04. प्रकाश आजाद को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 04 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी विवेक कुमार सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी मझेरिया पटीठ थाना कोतवाली मनकापुर गोण्डा अपने साथियों के साथ द्वारा थाना मनकापुर को लिखित सूचना दिया की दिनांक 07.12.2024 को शाम को दुकान से घर की तरफ जा रहा था कि उसी दौरान विपक्षीयों द्वारा उसका का मोबाइल झपटा मार कर छीन लिया और क्रासिंग की तरफ भागने लगे वादी अपने साथियों के सहयोग से उक्त चारो लोगो को मोबाइल के साथ मनकापुर क्रासिंग के पर पकड़ के लाया तथा साथीयों के साथ पकड़ कर थाने लाया है। तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर में मु0अ0सं0-602/24, धारा 304(2), 317(2) बीएनएस बनाम सुरेश यादव व अजय गुप्ता के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी व मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु टीमें लगाई गयी थी। आज दिनांक 11.08.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्तो- 01. 01. सुरेश यादव व 02. अजय गुप्ता को किशुनदासपुर क्रासिंग के पास कोल्हमपुर जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छिनैती का 01 मोबाइल फोन व रू0 200/- नगद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विवेचना में धारा 317 बीएनएस की बढोत्तरी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना नवाबंगज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. उमेश कुमार पुत्र शंकर मास्टर निवासी ग्रायत्रीपुरम थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
02. आशुतोष तिवारी पुत्र उदय प्रताप तिवारी निवासी तिनहोना थाना मोतीगंज , जनपद गोण्डा।
03. अभय राज पुत्र मुन्नेदर बरवार निवासी नकछेदपुरवा जिगना थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा।
04. प्रकाश आजाद पुत्र सरोज कुमार निवासी नकछेद पुरवा जिगना थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-602/24, धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 04 अदद मोबाइल फोन एन्ड्राएड
02. घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटरसाइकिल

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. हे0मो0 अरूद्ध कुमार थाना को0मनकापुर गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 08.12.2024

ऑपरेशन "साइबर कवच" के दृष्टिगत जनपदीय साइबर सेल द्वारा केंद्रीय विद्यालय गोण्डा के छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक-

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये-नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन "साइबर कवच" अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपदीय साइबर सेल व थानों पर गठित साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी दे रहे है और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में पम्पलेट वितरित कर महत्वपूर्ण स्थानों पर पम्पलेट/पोस्टर चस्पा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आज दिनांक 07.12.2024 को जनपदीय साइबर सेल, थाना कोतवाली नगर टीम के साथ केंद्रीय विद्यालय गोंडा में छात्र-छात्राओं एवं स्कूल के स्टाफ के साथ वर्कशाप का आयोजन किया गया। साइबर सेल टीम द्वारा अपराध की जानकारी देते हुए बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। आॅनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाए, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली-भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। छात्र/छात्राओं को विस्तारपूर्वक व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम आदि को सुरक्षित रखने हेतु बताया गया। अन्त में सभी छात्र-छात्राओं व स्कूल के स्टाफ से अपेक्षा की कि वर्कशॉप में दी गई जानकारी को अपने परिवार, आस-पड़ोस में अधिक से अधिक लोगों को बतायें जिससे की कोई भी व्यक्ति जानकारी के आभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो। इसी दौरान वर्कशाप में उपस्थित स्कूल के छात्र व स्टाफ को पम्पलेट वितरित किये गये तथा स्कूल के अन्य छात्रों को जागरुक करने हेतु पोस्टर एवं बुकलेट उपलब्ध करायी गयी। इसी तरह जनपद गोंडा के अन्य थानों के साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को साइबर अपराधों से बचने हेतु जागरूक किया गया।

साइबर वर्कशॉप के दौरान थाना कोतवाली नगर से उ0नि0 उदित वर्मा व जनपदी साइबर सेल से कां0 हरिओम टंडन, कां0 आलोक सविता द्वारा केंद्रीय विद्यालय गोंडा के छात्र/छात्राओं व स्कूल के स्टॉफ को जागरूक किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा